HRA En USUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY.

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1314] No. 1314] नई दिल्ली, सोमवार, अंगस्त 24, 2009/भाद्र 2, 1931

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2009/BHADRA 2, 1931

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2009

का.आ. 2158(अ).—पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 25 अगस्त, 2009 को वह तारीख निश्चित करती है जब उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

> [फा. सं. 51-44/90-एलडीटी(आरपी) (खंड IV)] अरविंद कौशल, संयुक्त सचिव (एल एच)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2009

S.O. 2158(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009), the Central Government hereby appoints the 25th day of August, 2009 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in all the States and the Union Territories except the State of Uttar Pradesh.

[F. No. 51-44/90-LDT (RP)/Vol. IV] ARVIND KAUSHAL, Jt. Secy. (LH)